डाक-व्यय की पूर्व अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के
लिए अनुमत. अनुमति-पत्र
क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 जनवरी 2001—पौष 15, शक 1922

कृषि विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2001

अधिसूचना

क्रमांक/बी-11/2000-01/14-2-58.—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता) के क्रमांक 3-5-97 फर्टिलाइजर दिनांक 8 जनवरी, 1999 में अन्तर्विष्टि अनुदेशों के साथ पठित उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा विभिन्न मदों के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्रों की मंजूरी तथा अमानक उर्वरक विक्रय की अनुज्ञा हेतु नीचे सारणी में दिये गये ब्यौरे के अनुसार फीस नियत करती हैं :—

सारणी

क्र. (1)	मद (2)	फीस सामान्य क्षेत्र के लिए (3)
(क)	उर्वरकों के मिश्रणों जिनमें विशेष मिश्रण सम्मिलित है के विनिर्माण के लिए :—	
	(1) उर्वरकों के मिश्रणों का विनिर्माण करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र मंजूर किये जाने हेतु.	रु. 1000.00
	(2) उर्वरक के विशेष मिश्रणों के विनिर्माण करने के लिए प्रमाण-पत्र मंजूर किये जाने हेतु.	रु. 500.00
	(3) उर्वरकों के मिश्रणों का विनिर्माण करने के लिए प्रमाण-पत्र नवीनीकरण हेतु.	रु. 1000.00
	(4) उर्वरकों के मिश्रणों का विनिर्माण करने के प्रमाण-पत्र में संशोधन हेतु.	रु. 200.00
	(5) उर्वरकों के मिश्रणों का विनिर्माण करने के प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण हेतु विलंब फीस.	रु. 100.00
	(6) उर्वरकों के मिश्रणों/विशेष मिश्रणों का विनिर्माण करने के प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति/अतिरिक्त प्रतियों का प्रदाय किया जाना.	रु 100.00

(1)	(2)	(3)
(ख)	व्यापारियों के लिए :—	
	(1) थोक व्यापारी को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की मंजूरी हेतु.	रु. 2250.00
	(2) फूटकर व्यापारी को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की मंजूरी.	
	(क) दो टन तक उर्वरक स्कंध विक्रय के लिए.	रु. निल
	(ख) दो टन से अधिक उर्वरक विक्रय के लिए.	रु. 1250.00
	(3) थोक व्यापारी के प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण हेतु.	रु. 2250.00
	(4) फूटकर व्यापारी के प्रमाण-पत्रों के नवीनीकरण हेतु.	
	(क) दो टन तक उर्वरक स्कंध के विक्रय के लिए	रु. निल
	(ख) दो टन से अधिक विक्रय स्कंध के विक्रय के लिए	रु. 1250.00
	(5) थोक व्यापारी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिए विलंब फीस	रु. 75.00
	(6) फूटकर व्यापारी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र नवीनीकरण के लिए विलंब फीस	रु. 60.00
	(7) थोक व्यापारी के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में संशोधन हेतु	रु. 150.00
	(8) फूटकर व्यापारी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में संशोधन हेतु.	रु. 30.00
	(9) थोक व्यापारी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति/अतिरिक्त प्रतियों हेतु.	रु. 75.00
	(10) फूटकर व्यापारी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति/अतिरिक्त प्रतियों हेतु.	रु. 25.00
(ग)	अमानक उर्वरक विक्रय की अनुमति हेतु :—	
	(1) अमानक उर्वरक विक्रय की अनुमति हेतु—	
	(क) 50 टन तक के स्टॉक हेतु.	रु. 30.00
	(ख) 50 टन से अधिक स्टॉक हेतु.	रु. 125.00

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रहास बेहार, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 2nd January 2001

NOTIFICATION

No./B-11/2000-01/14-2-58.—In exercise of the powers conferred by Clause 36 of the Fertilizer (Control) Order, 1985 read with the instructions contained in Government of India, Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Co-operation) letter No. 3-5-97 Fert. Law, dated 8th January, 1999 the State Government hereby fix the fees for grant of certificates of registration and permission for sale of non-standard fertilizer for different items as detailed in the table below :—

TABLE

S.No. (1)	Item (2)	Fees (in Rs.) General (3)
(A)	For Manufacturing of Fertilizer Mixtures including Special mixtures. :—	
	(1) Grant of Certificate for manufacturing of Fertilizer miztures.	Rs. 1000.00
	(2) Grant of Certificate for manufacturing of Special miztures of fertilizer.	Rs. 500.00
	(3) Renewal of Certificate for manufacturing of fertilizer mixtures.	Rs. 1000.00
	(4) Amendment of Certificate for manufacturing of fertilizer mixtures.	Rs. 200.00
	(5) Late fees for renewal of Certificate for manufacturing of fertilizer mixtures.	Rs. 100.00
	(6) Grant of duplicate/additional copies of certificate for manufacturing of fertilizer mixtures/Special mixtures.	Rs. 100.00

(1)	(2)	(3)
(B)	Dealers :—	
	(1) Grant of certificate of registration Wholesale dealer.	Rs. 2250.00
	(2) Grant of certificate of registration to retail dealer.	
	(a) Stocking of fertilizers upto two tonnes.	Nil.
	(b) Stocking of fertilizer exceeding two tonnes.	Rs. 1250.00
	(3) Renewal of a Certificate of registration to wholesale dealer.	Rs. 2250.00
	(4) Renewal of a Certificate of registration to retail dealer :—	
	(a) Stocking of fertilizer upto two tonnes.	Rs. Nil.
	(b) Stocking of fertilizer exceeding two tonnes.	Rs. 1250.00
	(5) Late fee for renewal of a certificate of registration to wholesale dealer.	Rs. 75.00
	(6) Late fee for renewal of certificate of registration to retail dealer.	Rs. 60.00
	(7) Amendment in certificate of registration to wholesale dealer.	Rs. 150.00
	(8) Amendment in certificate of registration to retail dealer.	Rs. 30.00
	(9) Duplicate/additional copies of certificate of registraton to wholesale dealer.	Rs, 75.00
	(10) Duplicate/additional copies of certificate of registration to retail dealer.	Rs. 25.00
(C)	Sale of Non-Standard Fertilizer :—	
	(1) Grant of authorisation for sale of non-standard fertilizers.	
	(1) Stock upto 50 tonnes.	Rs. 30.00
	(2) Stock more than 50 tonnes.	Rs. 125.00

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
C. H. BEHAR. Joint Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.